संख्या- 310 /2023/ 4141 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2023**

विषय:- जनपद मथुरा में दिनांक 11-14 अक्टूबर, 2023 की अवधि में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के आयोजन हेतु रू0 14.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2356 /सं0नि0-15(47)/2023-24 (04), दिनांक 29 सितम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या- 2151 /सं0नि0-15(47)/2023-24 (04), दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के आयोजन हेतु रू0 20.60 लाख के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 11-14 अक्टूबर, 2023 की अवधि में जनपद मथुरा में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के आयोजन हेतु रू0 14.16 लाख (रूपये चौदह लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायेगा:-

क्र0	मद का नाम	सहयोग धनराशि
1	चार दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कलाकारों एवं दर्शकों के लिए लाईट एवं साउंड की व्यवस्था	रू0 3.54 लाख
2	चार दिवसीय मंच सज्जा बैक ड्राप इल0ई0डी0 पर जी0एस0टी0 सहित व्यय	रू0 2.95 लाख
3	लोक गीत प्रतियोगिता, श्री राम स्वरूप सज्जा प्रतियोगिता और लोक नृत्य प्रतियोगिता एवं बृज श्री सम्मान समारोह चार दिवस हेतु	रू0 7.67 लाख
योग		रू0 14.16 लाख

2) पूर्व में शासनादेश संख्या- 283/2023/3994/चार-2023 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 द्वारा जनपद मथुरा में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के आयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 15,35,380.00 के सापेक्ष ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों को अनुमन्य टी0ए0 व डी0ए0 (यात्रा भत्ता) संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जायेगा तथा कलाकारों को आवास, भोजन, यात्रा भत्ता तथा मानदेय का भुगतान निर्धारित मानक के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसार ही किया जायेगा। तद्नुसार वास्तविक व्यय के उपरान्त शेष धनराशि शासकीय कोष में जमा की जायेगी।

3) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 14.16 लाख से कराये जाने वाले समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
6) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
9) आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति- 001-निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय--42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 310 /2023 / 4141 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।